न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—173/2017/225 (2017/00173)

1. श्रीमती नन्दू पत्नि भैरूलाल,
2. लादू पुत्र भैरूलाल,
3. प्रेमी पुत्री भैरूलाल,
   समस्त जाति माली, निवासी सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती तारादेवी कथित पत्नि स्व0 भैरूलाल,
2. आनन्द पुत्र स्व0 भैरूलाल,
3. गोपाल पुत्र स्व0 भैरूलाल,
4. रामकिशन पुत्र लालू,
5. रूकमा पत्नि नंदकिशोर,
6. इन्द्रा पत्नि मुकेश,
   समस्त जाति माली, निवासी सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 7.10.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 78/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर एवं श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 7.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को प्रफोर्मा वादीगण बनाकर रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 6/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 51 रकबा 8—15—00 बीघा, खसरा नंबर 1205/1 रकबा 6—17—00 बीघा एवं खसरा नंबर 1205/8 रकबा 4—17—00 बीघा भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा में स्थित है जिसका मूल खातेदार स्व0 लालू था ओर उसका देहांत होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण उसकी बेवा कमला पुत्री भैरूलाल एवं रामकिशन के नाम

स्वीकृत हुआ । भैरूलाल का भी दिनांक 13.3.1989 को देहांत हो गया और भैरूलाल के वारिसान वादीगण है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने उपरोक्त आराजी से वादी को वंचित करने की गरज से कमला बेवा लालू का कूटरचित हक त्याग की आड़ में अपने नाम भूमि का रिकार्ड में गलत अंकन करवा लिया ओर अपनी पुत्रवधु रूकमा पत्नि नंदकिशोर एवं इंद्रा पत्नि मुकेश माली को विवादित भूमि का 2/3 हिस्सा का बेचान कर दिया ओर प्रेमदेवी पुत्री भैरूलाल का नाम 1/3 हिस्सा रिकार्ड में गलत दर्ज करवा लिया जबकि श्रीमती नंदू पत्नि भैरूलाल के जीवनकाल में ही विवाह विच्छेद करके अपने पिता हरजी के घर अजगरा चली गई ओर इस प्रकार उसका भी विवादित आराजी में कोई हक नहीं रहा किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 से 7 वादी को भूमि का बेचान करने की धमकी देते है। अतः वाद के निर्णय तक प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रतिवादी/अपीलांट ने जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 7.10.2016 के द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश अस्पष्ट कारण रहित एवं एकतरफा एवं न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नही ंकिया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार लालू पुत्र जगन्नाथ था जिसके दो पुत्र भैरूलाल एवं रामकिशन हुए । प्रार्थिया नंदू स्व0 भैरूलाल की पत्नि है और अपीलांट संख्या 2 व 3 भैरूलाल के पुत्र एवं पुत्री होकर विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट का जन्म से ही अधिकार है और अपीलांट का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा होकर राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है किन्तु अपीलांट खातेदार काश्तकार को बिना नोटिस दिये ओर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उपखण्ड अधिकारी ने सरसरी तोर पर अपीलाधीन निर्णय प्रदान करने में भूल की है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि अपीलांट नंदू मृतक भैरूलाल की प्रथम पत्नि है ओर रेस्पो0 श्रीमती तारादेवी भैरूलाल की दूसरी पत्नि है । इस कारण जब प्रथम पत्नि जीवित है तब तक द्वितीय पत्नि को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है ओर विवादित भूमि में रेस्पो0 का काई हक व अधिकार नहीं है ओर न ही वादी को विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही है । इस कारण उसका वाद ही कब्जे के अभाव में संधारण योग्य नहीं है तो उसके हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस कारण अधी0न्याया0 ने उसका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना सही रूप से निरस्त किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट का काउन्टर क्लेम को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी के हक में प्रथमदृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं होते हुए भी अधी0न्याया0 ने धारा 212 के प्रावधानों का विवेचन नहीं कर एक खातेदार काश्तकार का काउन्टर

क्लेम को निरस्त करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । वादिया का भैरूलाल के साथ कभी भी हिन्दू रीति–रिवाज से विवाह नहीं हुआ बल्कि वादिया ने मिलीभगत कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पत्नि के रूप में लिखवा दिया और भैरूलाल के स्थान पर उसने फर्जी रूप से नौकरी भी प्राप्त कर ली जिसका वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है किन्तु वादिया ने अपीलांट की वल्दियत ही वाद में गलत अंकित कर सही तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और भैरूलाल की द्वितीय पत्नि बताकर विादित भूमि को हड़पना चाहती है । अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण / अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 7.10. 2016 की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को नहीं दी। निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.7.2017 को तब हुई जब रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांटस को धमकी दी कि प्रकरण का निस्तारण उनके हक में हो गया है । इस पर अपीलांटस अपने अधिवक्ता के पास गया एवं जानकारी कर निर्णय की पुष्टि होने पर दिनांक 4.7.2017 को अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक4.7.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 4 को उसकी मां कमलादेवी ने अपना हिस्सा हक त्याग से दिया था तथा हक त्याग का उप पंजीयन कार्यालय से पंजीयन करवाया गया है । इसी प्रकार रेस्पे0 5 व 6 को रेस्सपो0 संख्या 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये आराजी का विक्रय किया है । पंजीकृत विलेख को खारिज करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण / रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रतिवादी / रेस्पो0 संख्या 4 से 6 के विरूद्व वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 पेश किया गया है जिसमें वादीगण ने अपीलांटस को प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 के रूप में नियुक्त किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 / अपीलांटस ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें यह अंकित किया है कि विवादित आराजियात का मूल खातेदार स्व0 लालू था जिसका फौती नामांतकरण लालू की पत्नि कमला बेवा लालू तथा उसके दो पुत्रों भैरूलाल व रामकिशन के नाम दर्ज हुआ।

भैरूलाल पुत्र स्व0 लालू अप्रार्थी संख्या 5/अपीलांट संख्या 1 का पति एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 का पिता था जिसका दिनांक 13.3.1989 को देहांत हो चुका है । अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7/अपीलांटस भैरूलाल के विधिक वारिसान है इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 के नाम भी फौती नामांतकरण तस्दीक होना चाहिये । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 तारादेवी ने स्व0 भैरूलाल की द्वितीय पत्नी बनकर गलत सजरे के आधार पर वारिसान में अपना नाम लिखवाकर नामांतकरण तस्दीक करवा लिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 5 का कभी भी भैरूलाल से तलाक नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7/अपीलांटस के उक्त जवाब एवं काउन्टर क्लेम का वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के कथनों से इंकार किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचराधीन है । उक्त वाद में बाद साक्ष्य पक्षकारों के हक व अधिकार निर्धारित होगे तब तक यदि अपीलांटस जो कि विवादित आराजियात में स्व0 भैरूलाल की प्रथम पत्नि एवं पुत्र एवं पुत्री होने के आधार पर अपना हक व हिस्सा होने का कथन कर रहे है, यदि उक्त आराजियात का वाद के निर्णय से पूर्व बेचान, हस्तातंरण इत्यादि हो जाता है तो अपीलांटस द्वारा अपील प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । हम न्यायहित में खातेदार भैरूलाल की आराजियात में अपीलांट संख्या 1 एवं अपीलांट संख्या 2 व 3 पुत्र एवं पुत्रियों के हक व हिस्से की भूमि को वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निरस्त किये जाने की हद तक निरस्त योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2016 को अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निरस्त किये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस/अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला मूल वाद स्व0 भैरूलाल की आराजी के 1/3 हिस्से बाबत् मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर